संख्या. डब्लू-11042/27/2014 एनबीए

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

निर्मल भारत अभियान
12वां तल पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड़,
नई दिल्ली-110003, 4 अगस्त, 2014
फोन नं. 011-24364427, फैक्स: 24361062/24364869

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी
सभी राज्य और संघराज्य क्षेत्र

विषय:- निर्मल भारत अभियान (एनबीए) की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति के आंकड़ों की प्रविष्टि की गति में तेजी लाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम विशेषकर वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) की कवरेज के संबंध में गति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को इस समय सार्थक प्रयास करने हैं। 2019 तक 'स्वच्छ भारत' की स्थिति प्राप्त करने की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए, यह विशेषरूप से महत्वपूर्ण प्रयास है। इस संबंध में 16 जुलाई से 21 जुलाई, 2014 के बीच सभी राज्यों के साथ वीडियो कांफ्रेन्स आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त, इस मुद्दे पर इस मंत्रालय से राज्य सरकारों को अनेक पत्र जारी किए गए हैं।

2. एमआईएस पर राज्यों द्वारा एनबीए के अंतर्गत दर्ज मासिक प्रगति रिपोर्ट की जांच करने पर यह पाया गया है कि आंकड़ा प्रविष्टि की प्रगति संतोषजनक नहीं है। राज्य सरकारों के साथ इस स्थिति पर विचार-विमर्श करने पर, तीन बड़ी बाधाएं सूचित की गई हैं, जिनका समाधान किए

जाने की आवश्यकता है। इन मुद्दों पर विचार किया गया है और उनके समाधान सुझाने के लिए राज्यों को जो अनुदेश दिए गए हैं, वे निम्नलिखित हैं:-

क्र.सं.	मुद्दा	समाधान
1.	मनरेगा (एमजीएनआरईजीए) निधियां उपलब्ध नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप एमआईएस पर एनबीए की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट में प्रविष्टि नहीं हुई है।	यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य आईएचएचएल का निर्माण पूरा होने पर एमआईएस पर एमपीआर आंकड़ा (वास्तविक एवं वित्तीय) और मनरेगा घटक के भुगतान का इंतजार किए बिना एनबीए प्रोत्साहन का भुगतान दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि यह बताया गया है कि कभी-कभी इसमें विलंब हो जाता है।
2.	एनबीए एमआईएस पर गांवों को जोड़ने/परिवार को जोड़ने का विकल्प उपलब्ध नहीं है।	इसे अब उपलब्ध कराया जा रहा है।
3.	राज्य स्तर पर अनुमोदन केवल प्रत्येक महीने की 15 तारीख को दिया जा सकता है।	यह सूचित किया जाता है कि राज्य स्तर पर अनुमोदन दैनिक आधार पर दिया जा सकता है ताकि अद्यतन आंकड़ा रिपोर्ट में प्रदर्शित हो सके।

3. यह अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त संशोधनों की सूचना जिला/ब्लॉक स्तर से नीचे के पदाधिकारियों को दी जाए ताकि एनबीए, एमआईएस पर अद्यतन आंकड़ों की प्रविष्टि की जा सके।

4. बहुत से राज्यों ने अप्रैल, 2014 से जून, 2014 तक निर्मित आईएचएचएल संबंधी आंकड़ा दर्ज नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया गया है कि अरूणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के राज्यों ने वित्त वर्ष 2014 के पिछले 4 महीने में एक भी निर्मित आईएचएचएल की सूचना नहीं दी है। संबंधित पदाधिकारियों को कृपया एमपीआर डाटा दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं ताकि एनबीए एमआईएस पर सही स्थिति उपलब्ध हो सके।

इसके अतिरिक्त, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मणिपुर, मेघालय, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के राज्यों द्वारा एनबीए एमआईएस पर दी गई सूचना संतोषजनक नहीं है।

5. यह भी सूचित किया जाता है कि इस समय एमपीआर पर आधारित एनबीए एमआईएस पर राज्य की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की मॉनिटरिंग प्रतिदिन की जा रही है। 100 दिन की उपलब्धि की भी मॉनिटरिंग दैनिक आधार पर की जा रही है।

6. यह चिन्ता का मामला है।

भवदीय,

(सुजॉय मजुमदार)
निदेशक, एनबीए

प्रतिलिपि निम्नलिखित की प्रेषित

1. सभी राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों के राज्य एनबीए समन्वयकर्त्ता
2. तकनीकी निदेशक, एनआईसी को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की वैबसाइट पर डालने के लिए